

E Learning Study Material

By Prof YADWENDRA SINGH

MAHARAJA COLLEGE ARA

VKS UNIVERSITY ARA BIHAR

BA PART TWO ECONOMICS HONS
PAPER THIRD

Types of Farming - State Farming in

India - 3. राजकीय कृषि -

इस प्रकार की कृषि फार्मों पर राज्य का अधिकार होता है तथा वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा खेती करायी जाती है। राज्य कृषि अनुसंधान पर विशेष ध्यान देता है तथा अधिक पूँजी लगा कर किसानों के सामने आधुनिक तथा वैज्ञानिक खेती का आदर्श प्रस्तुत किया जाता है। राजकीय कृषि फार्मों पर प्रति एकड़ उपज का भी अधिक होती है भारत में विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के फार्मों का स्थापित किया गया है। राजकीय क्षेत्र के कई 1969 ई० में State Farms Corporation of India की स्थापना की जिसकी अधिकतम पूँजी 6 करोड़ रुपये है। लेकिन राजकीय कृषि की विलक्षण संभावना अभी भारत में नहीं है। इसका कारण यह है कि इस प्रकार की खेती पर राज्य का अधिकार अलावा सभी लोग प्रकृति के रूप में काम करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था लागू करने में क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता होगी। भारत में किसानों को अपनी भूमि पर विशेष ध्यान देना है जो वे इसे छोड़ना नहीं चाहते। देश में राजकीय फार्मों को चलाने के लिए कुशल कर्मचारियों का भी अभाव है जो किसान

इस प्रकार पर उत्पाद के लाख काम नहीं का पायेगे, इसके अलावे जंगल/पा की अधिकता पंजी की उपयोगिता पशु शक्ति के प्रयोग की अनिवार्यता कितानों का भूमि के विशेष लगाव आदि कारणों से भारत में रात्रकीय कृषि-उपवस्था लागू करने का क्षेत्र अल्पतः सीमित है।

4 सामूहिक कृषि (Collective Farming) :-

सामूहिक कृषि के अन्तर्गत भूमि का सामूहिक समायोजन का दिना जाता है तथा भूमि पर के व्यक्तिगत या निजी स्वामित्व समाप्त हो जाता है। इस प्रकार भूमि पर कितानों का स्वामित्व न होकर समूह एवं राज्य का स्वामित्व होता है। समूह जैतों को मिलाकर एक कर दिया जाता है तथा पंजी एवं पंजे आदि लाघतों को व्यक्तिगत वैज्ञानिक तरीके से बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। कृषि कार्य निर्वाहित समिति अथवा निगम की निगरानी में होता है। भूमिको को अपनी आप का कुछ अंश राज्य को अंशदाता के रूप में देना पड़ता है तथा शेष भाग का विभाजन उनके द्वारा किये गये भूमि के उत्पाद पर होता है। कार्यकुशलता के लिए कुल लाभ (Net Dividend) में से बोनस का वितरण किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि सामूहिक कृषि में खेती करने वाले समूह लोग कितान नहीं बरकर मजदूर होते हैं और उन्हें कहीं आवश्यकता नुसार तो कहीं उपार्जित वेतन के अनुसार मजदूरी दी जाती है। इस तथा इतराफल में इसी प्रकार की उपवस्था है। सामूहिक कृषि की क्रान्तिकारी प्रणाली अपनाते के लिए सामूहिक उपवस्था में आमूल-मूल परिवर्तन अपेक्षित है।